दिल्ली विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1996

THE MEMBER OF DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY (DISQUALIFICATION ON GROUNDS OF DEFECTION) RULE, 1996

अनुलग्नक–1

दिल्ली विधान सभा सदस्य (दल–परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1996

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा के अध्यक्ष दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम (1992 की सं. 1) 1991 की धारा 16 के साथ पठित भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम

   इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1996 है।

2. परिभाषाएं

   इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

   (क) '**समाचार**' से तात्पर्य सदन का समाचार है;

   (ख) '**समिति**' से तात्पर्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा की विशेषाधिकार समिति है;

   (ग) '**प्रारूप**' से तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न प्रारूप है;

   (घ) इन नियमों के संबंध में '**प्रारम्भ की तारीख**' से तात्पर्य वह तारीख है, जिस तारीख को ये नियम दसवीं अनुसूची के पैरा 8 के उप–पैरा (2) के अधीन प्रभावी होंगे;

   (ङ) '**सदन**' से तात्पर्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा का सदन है;

   (च) किसी विधायी–दल के संबंध में '**नेता**' से तात्पर्य उस दल का ऐसा सदस्य है जिसे उस दल ने अपना नेता चुना है और इसके अन्तर्गत उस दल का कोई ऐसा अन्य सदस्य भी है जो उसकी अनुपस्थिति में इन नियमों के प्रयोजनार्थ उस दल के नेता के रूप में कार्य करने, उसके कार्यों का निर्वहन करने के लिए उस दल द्वारा प्राधिकृत किया गया है;

   (छ) '**सदस्य**' से तार्त्पय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा का सदस्य है;

(ज) **'दसवीं अनुसूची'** से तात्पर्य भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची है; और

(झ) **'सचिव'** से तात्पर्य विधान सभा का सचिव है, और उसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जिसे सचिव के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

3. विधायी दल के नेता द्वारा जानकारी का दिया जाना

(1) प्रत्येक विधायी—दल का नेता (ऐसे विधान—दल से भिन्न जिसमें केवल एक सदस्य हो) सभा की पहली बैठक की तारीख से तीस दिन के भीतर या जहां ऐसे विधायी—दल का गठन ऐसी तारीख के बाद किया गया है, वहां उसके गठन की तारीख से तीस दिन के भीतर अथवा प्रत्येक स्थिति में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त कारण, के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को निम्नलिखित प्रस्तुत करेंगे, अर्थात्—

(क) एक विवरण (लिखित रूप में) जिसमें ऐसे विधायी—दल के सदस्यों के नाम और उसके साथ ऐसे सदस्यों से संबंधित अन्य विवरण होंगे जैसे कि प्ररूप I में है और ऐसे दल के उन सदस्यों के नाम और पदनाम होंगे, जिन्हें उस दल ने इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष से पत्र—व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत किया है;

(ख) संबंधित राजनीतिक दल के नियमों और विनियमों की एक प्रति (चाहे उन्हें इस नाम से या संविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो); और

(ग) जहां ऐसे विधायी—दल के कोई पृथक् नियम और विनियम हैं (चाहे उन्हें इस नाम से अथवा संविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो) वहां ऐसे नियमों और विनियमों की एक प्रति।

(2) जहां किसी विधायी—दल में केवल एक सदस्य है वहां ऐसा सदस्य सदन की पहली बैठक की तारीख से तीस दिन के भीतर या जहां वह ऐसी तारीख के बाद सदन का सदस्य बना है, वहां सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से तीस दिन के भीतर अथवा प्रत्येक स्थिति में ऐसा अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसका अध्यक्ष पर्याप्त कारण के आधार पर अनुज्ञा दें, अध्यक्ष को उप—नियम (1) के खंड (ख) में उल्लिखित नियमों और विनियमों की एक प्रति भेजेंगे।

(3) ऐसे किसी विधायी–दल की संख्या में, जिसमें केवल एक सदस्य है, वृद्धि होने पर, उप–नियम (1) के उपबंध ऐसे विधायी–दल के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, मानो वह विधायी–दल उस तारीख को बनाया गया है, जिसको उसकी संख्या में वृद्धि हुई है।

(4) जब कभी किसी विधायी–दल के नेता द्वारा उपनिमय (1) के अंतर्गत या किसी सदस्य द्वारा उप–नियम (2) के अंतर्गत दी गई सूचना में कोई परिवर्तन होता है तो वह उसके पश्चात् 30 दिन के भीतर अथवा ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतु के आधार पर अनुज्ञा दें, अध्यक्ष को ऐसे परिवर्तन की लिखित सूचना देंगे।

(5) इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख को विद्यमान सदन की दशा में उप–नियम (1) और उप–नियम (2) में सदन की पहली बैठक की तारीख के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इन नियमों के आरम्भ की तारीख के प्रति निर्देश है।

(6) जहां किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य, ऐसे राजनीतिक दल द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निर्देश के विरुद्ध ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना सदन में मतदान करते हैं या मतदान करने से विरत रहते हैं, तो संबंधित विधायी–दल का नेता या जहां ऐसा सदस्य ऐसे विधायी–दल का, यथास्थिति, नेता या एकमात्र सदस्य है तो ऐसा सदस्य, ऐसा मतदान करने या मतदान में भाग न लेने की तारीख से पंद्रह दिन की समाप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र, और किसी भी स्थिति में ऐसे मतदान करने या मतदान में भाग लेने के तीस दिन के भीतर प्रारूप II के अनुसार, अध्यक्ष को यह संसूचित करेगा कि ऐसा मतदान करने या मतदान में भाग लेने के लिए ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने माफ किया है या नहीं।

स्पष्टीकरण.– किसी मतदान में भाग न लेना तभी माना जायेगा, जब वह मतदान करने के लिए अधिकृत किये जाने पर स्वेच्छा से मतदान में भाग नहीं लेगा।

4. सदस्यों द्वारा सूचना आदि का दिया जाना

(1) ऐसा प्रत्येक सदस्य जिसने इन नियमों के आरम्भ होने की तारीख से पूर्व सदन में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, ऐसी तारीख से तीस

दिन के भीतर अथवा ऐसी आगे की अवधि के भीतर जिसकी अनुमति अध्यक्ष पर्याप्त कारण से दे, प्रारूप III में विशिष्टियों का एक विवरण और घोषणा सचिव को भेजेंगे।

(2) प्रत्येक सदस्य, जो इन नियमों के आरम्भ के पश्चात् सदन में अपना स्थान ग्रहण करते हैं, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (1992 की सं. 1) के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, सचिव के पास, यथास्थिति, अपने निर्वाचन प्रमाणपत्र की प्रति जमा कराएंगे और प्रारूप III में विशिष्टियों का एक विवरण और घोषणा भी सचिव को देंगे।

स्पष्टीकरण– इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए ''निर्वाचन प्रमाण पत्र'' से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी किया गया निर्वाचन प्रमाणपत्र है।

(3) इस नियम के अधीन सदस्य जो जानकारी देंगे उसका संक्षेप, समाचार (बुलेटिन) में प्रकाशित किया जाएगा और यदि अध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में उसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो समाचार में आवश्यक शुद्धि–पत्र प्रकाशित किया जाएगा।

5. सदस्यों के बारे में जानकारी का रजिस्टर

(1) सचिव, प्रारूप IV में एक रजिस्टर रखेंगे जो सदस्यों के संबंध में नियम 3 और नियम 4 के अधीन जानकारी पर आधारित होगा।

(2) प्रत्येक सदस्य के संबंध में जानकारी, रजिस्टर में पृथक् पृष्ठ पर अभिलिखित की जाएगी।

6. निर्देश का अर्जी द्वारा किया जाना

(1) कोई सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निर्देश उस सदस्य के संबंध में इस नियम के उपबंधों के अनुसार दी गई अर्जी द्वारा ही किया जायेगा अन्यथा नहीं।

(2) किसी सदस्य के संबंध में कोई अर्जी किसी अन्य सदस्य द्वारा अध्यक्ष को लिखित रूप में दी जा सकेगी:

परन्तु अध्यक्ष के संबंध में कोई अर्जी सचिव को संबोधित की जाएगी :

(3) सचिव –

(क) उप–नियम (2) के परन्तुक के अधीन दी गई अर्जी की प्राप्ति के

पश्चात् यथाशीघ्र, उसके बारे में सदन को एक रिपोर्ट देंगे; और

(ख) दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप–पैरा (1) के परन्तुक के अनुसरण में सदन द्वारा किसी सदस्य के निर्वाचित किए जाने के पश्चात् अर्जी को यथाशीघ्र उस सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(4) किसी सदस्य के संबंध में कोई अर्जी देने से पूर्व, अर्जीदार अपना सह समाधान करेगा कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि यह प्रश्न उठता है कि क्या यह सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं।

(5) प्रत्येक अर्जी–

(क) अर्जी में उन सात्विक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा, जिन पर अर्जीदार निर्भर करता है; और

(ख) अर्जी के साथ ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की यदि कोई हो, प्रतियां संलग्न होंगी, जिस पर अर्जीदार निर्भर करता है, और जहां अर्जीदार किसी व्यक्ति द्वारा उसे दी गई किसी जानकारी पर निर्भर करता है, वहां उन व्यक्तियों के नाम और पते सहित विवरण और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दी गई ऐसी जानकारी का सारांश संलग्न होगा।

(6) प्रत्येक अर्जी पर अर्जीदार के हस्ताक्षर होंगे और उसे, अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित रीति से सत्यापित किया जाएगा।

(7) अर्जी के प्रत्येक उपबंध पर भी अर्जीदार के हस्ताक्षर होंगे और उसे अर्जी के समान रीति से ही सत्यापित किया जाएगा।

7. प्रक्रिया

(1) नियम 6 के अधीन अर्जी प्राप्त होने पर, अध्यक्ष इस बात पर विचार करेंगे कि क्या अर्जी उक्त नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है।

(2) यदि अर्जी नियम 6 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है, तो अध्यक्ष अर्जी को रद्द करेंगे और अर्जीदार को तदनुसार संसूचित करेंगे।

(3) यदि अर्जी नियम 6 की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, तो अध्यक्ष अर्जी और उसके उपबंधों की प्रतियां –

(क) उस सदस्य को भिजवाएंगे, जिसके संबंध में अर्जी दी गई है, और

(ख) जहां ऐसा सदस्य किसी विधायी–दल का है, और ऐसी अर्जी उस दल के नेता ने नहीं दी है, वहां ऐसे नेता को भी भिजवाएंगे;

और ऐसे सदस्य या नेता, ऐसी प्रतियों की प्राप्ति से सात दिन के भीतर, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, उस पर अपनी लिखित टिप्पणियां अध्यक्ष को भेजेंगे।

(4) अर्जी के संबंध में, अनुमति की अवधि (चाहे मूलतः या उक्त उप–नियम के अधीन विस्तारित) के भीतर, उप–नियम (3) के अधीन प्राप्त टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् अध्यक्ष या तो प्रश्न का निर्णय करने के लिए अग्रसर होंगे या, यदि उसका उस मामले की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या वांछनीय है तो वह अर्जी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उसे समिति को निर्दिष्ट करेंगे।

(5) अध्यक्ष, उप–नियम (4) के अधीन समिति को अर्जी निर्दिष्ट करने के पश्चात्, यथाशीघ्र, अर्जीदार को तदनुसार संसूचित करेंगे और ऐसे निर्देश के संबंध में सदन में घोषणा करेंगे या, यदि सदन का सत्र उस समय नहीं चल रहा है तो उस निर्देश की सूचना समाचार में प्रकाशित कराएंगे।

(6) जहां अध्यक्ष समिति को उप–नियम (4) के अधीन निर्देश करते हैं, वहां यह समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र उस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

(7) वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण अध्यक्ष उप–नियम (4) के अधीन किसी प्रश्न के अवधारणा के लिए करेंगे और यह प्रक्रिया जिसका अनुसरण समिति प्रारंभिक जांच के प्रयोजन के लिए करेगी, यथासंभव, वही प्रक्रिया होगी जिसकी समिति किसी सदस्य द्वारा सदन के विशेषाधिकार की मांग किए जाने के किसी प्रश्न का निर्णय करने के लिए अनुसरण करती है और अध्यक्ष या समिति इस निष्कर्ष पर कि वह सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, तभी पहुंचेंगे जब कि उस सदस्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का और व्यक्तिगत रूप से और यदि वह चाहता है तो, उसकी इच्छानुसार परामर्शी की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

(8) उप–नियम (1) से (7) तक के उपबंध अध्यक्ष के संबंध में दी गई अर्जी के बारे में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी अन्य सदस्य के संबंध में दी गई अर्जी के बारे में लागू होते हैं, तथा इस प्रयोजनार्थ, इन उप–नियमों में अध्यक्ष के प्रति निर्देश का अर्थ दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप–पैरा (1) के परन्तुक के अन्तर्गत सदन द्वारा निर्वाचित सदस्य के प्रति निर्देश सहित लगाया जाएगा।

8. अर्जी पर विनिश्चय

(1) अर्जी पर विचार होने के पश्चात् यथास्थिति, अध्यक्ष या दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप–पैरा (1) के परन्तुक के अधीन निर्वाचित सदस्य, लिखित आदेश द्वारा

(क) अर्जी को खारिज करेंगे, या

(ख) यह घोषणा करेंगे कि वह सदस्य जिसके संबंध में अर्जी दी गई है, दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है;

और उस आदेश की प्रतियां अर्जीदार को, उस सदस्य को, जिसके संबंध में अर्जी दी गई है, और संबंधित विधायी–दल के नेता को, यदि कोई हो, भिजवाएंगे या अग्रेषित करवाएंगे।

(2) ऐसा प्रत्येक निर्णय, जिसमें किसी सदस्य को दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त घोषित किया गया है सदन को, यदि वह सत्र में है, तुरन्त रिपोर्ट किया जाएगा, और यदि सदन सत्र में नहीं है तो सदन के पुनः समवेत होने के तुरन्त पश्चात् रिपोर्ट किया जायेगा।

(3) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्णय समाचार में प्रकाशित किया जाएगा और राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा तथा सचिव उस निर्णय की प्रतियां भारत के निर्वाचन आयोग को और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार को अग्रेषित करेंगे।

9. इन नियमों के विस्तृत कार्यकरण के संबंध में निर्देश

अध्यक्ष समय–समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकेंगे, जो वह इन नियमों के विस्तृत कार्यकरण के बारे में आवश्यक समझें।

प्रारूप — I

[देखिए नियम 3(1) (क)]

विधायी दल का नाम :

तत्सथानी राजनीतिक दल का नाम :

क्रम संख्या	विधायक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	विधान सभा क्षेत्र जिससे निर्वाचित हुआ है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

तारीख:

विधायी दल के नेता के हस्ताक्षर

Name of the Legislatu

S.No.	Name of the Member (in block letters
(1)	(2)

Date :

प्रारूप–II

[देखिए नियम 3(6)]

सेवा में

अध्यक्ष,

विधान सभा,

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र,

दिल्ली।

महोदय,

सदन की..(तारीख) को हुई बैठक में.................................. विषय पर हुए मतदान में

+श्री..विधायक ने जिनकी (विभाजन संख्या..............................) है और जो......................................(राजनीतिक दल) के हैं और .... (विधायी दल) के हैं, ने भाग लिया/अनुपस्थित रहे।	*मैंने/मैं अर्थात्.. (.....................................विधायक का नाम) (विभाजन संख्या ....) (राजनीतिक दल का नाम.......................... ....) का सदस्य और.. ....(विधायी–दल का नाम) का नेता/एक मात्र सदस्य, ने भाग लिया/अनुपस्थित रहा हूँ।

....*(व्यक्ति/प्राधिकारी/दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध और उक्त *व्यक्ति/प्राधिकारी/दल) की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना मतदान किया है/मतदान करने से विरत रहा है/रहा हूं।

2. ....(तारीख) को पूर्वोक्त मामले पर.................................. *(व्यक्ति/प्राधिकारी दल) द्वारा विचार किया गया और उक्त +मतदान करने/मतदान करने से विरत रहने को, उसके द्वारा +माफ किया गया/माफ नहीं किया गया।

भवदीय,

तारीख : हस्ताक्षर

* जो लागू ना हो उसे काट दें

+(यहाँ पर उस व्यक्ति/प्राधिकारी/दल, जैसा भी हो, का नाम लिखें जिसने निर्देश जारी किये हो।)

To

The Speaker,
Legislative Ass
National Capita
Delhi.

Sir,

At the sitting o
on........................... (

+Shri......................
(Division No............
member of..............
(name of political par
member of..............
(name of legislative p
had voted/abstained f

contrary to the dire
without obtaining the

2. On (date)...
by........................*(pe
†condoned/was not c

Date:

†Strike out inappropria
*(Here mention the nar
issued the direction.)

प्ररूप–III

(देखिए नियम 4)

1. विधायक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. पिता/पति का नाम :
3. स्थायी पता :
4. दिल्ली का पता :
5. निर्वाचन की तारीख :
6. जिस दल से संबद्ध
   (i) निर्वाचन की तारीख
   (ii) इस प्रारूप पर हस्ताक्षर करने की तारीख

घोषणा

मैं...यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है।

ऊपर दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन होने पर, मैं अध्यक्ष महोदय को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूं।

विधायक के हस्ताक्षर/

तारीख　　　　　　　　　　अंगूठे का निशान

1. Name of th
2. Father's/hu
3. Permanent
4. Delhi Addr
5. Date of ele
6. Party affilia
   (i) Date
   (ii) Date

I........................
and correct.

In the event of
intimate the Speaker

Date:

प्रारूप–IV

[देखिए नियम 5(1)]

सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	दिल्ली का पता	निर्वाचन/नाम–निर्देशन की तारीख	जिससे वह संबद्ध है, उस राजनीतिक दल का नाम	जिससे वह संबद्ध है, उस विधायी–दल का नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

सचिव

FORM IV

[See Rule 5(1)]

Name of the member (in block letters)	Father's/ Husband's name	Permanent Address	Delhi Address	Date of Election	Name of political party to which he	Name of legislature party to	Remarks